उत्तराखण्ड
पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्
निकट- ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड
गढीकैन्ट, देहरादून- 248001
दूरभाष 2559898-0135 -फैक्स2559988-

पत्र सं0 –4305/2–7–42/2016–17 दिनांकः 25 मार्च, 2017

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः उत्तराखण्ड नदी राफ्टिंग प्रबन्ध सोसाइटी का गठन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन पर्यटन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0. 442/VI(1)/2017-01(03)/2013 दिनांक 15 मार्च, 2017 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें । उक्त पत्र द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में राफ्टिंग/ क्याकिंग हेतु चयनित नदियों में अवैध एवं नियम विरूद्ध रिवर राफ्टिंग संचालन पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड नदी राफ्टिंग प्रबन्धन सोसाइटियां गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। **"उत्तराखण्ड नदी राफ्टिंग प्रबन्ध सोसाइटी"** का स्वरूप निम्नवत गठित किया गया हैः–

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी– अध्यक्ष
2. सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी – सदस्य
3. प्रभागीय वनाधिकारी अथवा नामित प्रतिनिधि जो वन्य क्षेत्राधिकारी से निम्न न हो– सदस्य
4. सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई विभाग– सदस्य
5. उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में साहसिक पर्यटन का कार्य देख रहे अधिकारी– सदस्य
6. रिवर राफ्टिंग एसोसिएशनों के 03–03 पदेन सदस्य – सदस्य
7. एसोसिएशनों के अतिरिक्त राफ्टिंग फर्मों के 02 आमन्त्रित सदस्य– (अध्यक्ष द्वारा नामित) सदस्य
8. सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी/ साहसिक खेल अधिकारी– सचिव

उक्तवत गठित सोसाइटी के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये हैंः–

1. सोसाइटी द्वारा रिवर राफ्टिंग एवं क्याकिंग नियमावली में प्राविधानित नियमों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना।
2. नियमों का पालन न करने वाली संस्था/ कम्पनी/ फर्म को एक बार लिखित रूप से चेतावनी दी जायेगी। चेतावनी दिये जाने के पश्चात नियमों का उल्लंघन दोहराने की स्थिति में राफ्टिंग संचालन हेतु प्रदान की गई अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जानी।
3. राफ्टिंग क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, सुचारू पार्किंग व्यवस्था एवं उपलब्ध कराये गये सम्पत्ति का रख–रखाव सुनिश्चित करना।
4. पार्किंग एवं राफ्टिंग क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाना।

5. राफ्टिंग क्षेत्र में उपलब्ध वेण्डरों को अनुमति प्रदान करना तथा उन्हें दी गई अनुमति को निरस्त करना अथवा दण्ड निर्धारित करना।
6. सोसाइटी को आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश तैयार करने का अधिकार होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के अनुसार सोसाइटी गठन कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प0पृ0सं0: ५४०५ (1)/समदिनांकित 2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. सचिव पर्यटन उत्तराखण्ड शासन को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी।
4. अध्यक्ष, आइप्रो/यूएफओ।
5. मैसर्स वेबलाइन इन्फोसॉफ्ट प्रा0लि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

(शैलेश बगौली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी